2011:सीजीएचसी:10917

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 1220 / 1994

रघुनाथ गडा

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

निर्णय

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

22.02.2011

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 1220 / 1994

अपीलार्थी रघुनाथ गडा पिता मायाराम गडा, उम्र 26 वर्ष, निवासी – व यासनगर, थाना पामगढ, जिला – बिलासपुर म.प्र. ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित-

अपीलार्थी के लिए: श्री राजेश जैन, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य के लिए: श्री किशोर भादुडी, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 22.02.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

(1) यह अपील सत्र न्यायालय, बिलासपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 110/1987 में पारित दिनांक 27 जून, 1994 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है।

(2) आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को निम्नलिखित प्रकार से सिद्धदोष कर दण्डित किया गया है और दण्डों को साथ साथ चलाने के निर्देश दिये गये हैं:

दोषसिद्धी	**दण्ड**
भा.द.सं. की धारा 363 के अंतर्गत —	सात वर्ष का कठोर कारावास।

भा.द.सं. की धारा 364 के अंतर्गत — दस वर्ष का कठोर कारावास।

भा.द.सं. की धारा 366 के अंतर्गत — दस वर्ष का कठोर कारावास।

भा.द.सं. की धारा 376 के अंतर्गत — आजीवन कठोर कारावास।

भा.द.सं. की धारा 302 के अंतर्गत — आजीवन कठोर कारावास।

(3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं - मृतका- कीर्ति बाई की आयु लगभग 11-12 वर्ष थी। वह महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, बिलासपुर में छठवीं कक्षा में अध्ययनरत थी। दिनांक 22.10.1986 को, हमेशा की तरह, वह स्कूल में उपस्थित थी। आरोप यह है कि लगभग प्रात: 9 बजे, अपीलार्थी उसके स्कूल गया और प्रधान अध्यापिका से कहा कि मृतका के पिता अर्थात- चतराम (अ.सा.7) दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, इसलिए, उसे मृतका को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाए। मृतका ने अपीलार्थी की पहचान कर ली, इसलिए स्कूल प्राधिकारियों द्वारा उसे अपीलार्थी के साथ जाने की अनुमति दे दी गई। चूंकि, मृतका अपने मामा- रामेश्वर प्रसाद (अ.सा.4) के साथ रह रही थी और वह शाम को उनके घर वापस नहीं लौटी और उनकी पुत्री नंद किशोरी (अ.सा.6), जो उसी स्कूल में पढ़ती थी, अकेली वापस आ गई, रामेश्वर प्रसाद (अ.सा.4) ने संबंधित पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श-पी-5) में लेखबद्ध किया गया। पूछताछ करने पर, स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने दिनांक 22.10.86 को जानकारी दी कि एक व्यक्ति उनके स्कूल आया था और बताया कि मृतका के पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनके पैर में चोट लगा है, वह मृतका के पिता के घर के पास रहता है और मृतका ने भी पहचान की कि वह उसे जानती है, इसलिए उसे उस व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी गई थी। इन तथ्यों के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-27) पंजीबद्ध की गई। अपीलार्थी- रघुनाथ के मृतका के पिता के साथ रंजिशपूर्ण संबंध हैं। दिनांक 23.10.86 को, विवेचना अधिकारी द्वारा जप्ती पत्रक/पंचनामा प्रदर्श-पी-24 के तहत अपीलार्थी की पत्नी के कब्जे से अपीलार्थी के तीन फोटो (1 फोटो फ्रेम में लगे हुए) जप्त किए गए। उन फोटोग्राफ को प्रधान अध्यापिका श्रीमती सी.के. राय, श्रीमती जे. मौर्य (शिक्षिका-अ.सा.8) और भृत्य- रामस्वरूप उर्फ स्वरूप राम को दिखाए गए। उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि जिस व्यक्ति का फोटो उन्हें दिखाया गया था, वही वह व्यक्ति था जो दिनांक 22.10.86 को मृतका को अपने साथ ले गया था। अपीलार्थी को दिनांक 25.10.86 को अभिरक्षा में लिया गया। उसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी-13) दिया और उसकी निशानदेही पर मोपका-खार की झाड़ियों से बरामदगी पंचनामा (प्रदर्श-पी-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) के तहत मृतका का शव बरामद किया गया। प्रकटीकरण ज्ञापन मृतका के स्कूल बैग के बारे में भी था, जिसे अपीलार्थी के अनुसार उसने गांधी चौक (बिलासपुर शहर में एक स्थान) के पास फेंक दिया था, किंतु उसे उस स्थान से बरामद नहीं किया जा सका। वास्तव में, प्रकटन से पूर्व, एक मोहसिन खान (अ.सा.10) ने स्कूल बैग देखा और बैग में रखी वस्तुओं में मृतका का नाम और उसके स्कूल का नाम पाकर, बैग को स्कूल में जमा कर दिया। मृतका के शव का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी-15) तैयार किया गया और ज्ञापन प्रदर्श-पी-1 के तहत मृतका के शव को शव परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया। शव परीक्षण तीन डॉक्टरों के एक दल द्वारा किया गया जिसमें डॉ. (श्रीमती) ए. जैन (अ.सा.1) शामिल थीं। उन्होंने पाया कि मृतका लगभग 12 वर्ष की आयु की एक कम उम्र की लड़की थी; जघन और कांख के बाल विकसित नहीं थे; स्तन विकसित नहीं थे; और उसके शरीर पर कई खरोंचें थीं। खरोंचें दोनों जांघों पर, दोनों घुटनों के ऊपरी और निचले हिस्से पर, दोनों पैरों पर, टखने के जोड़ पर; दोनों हाथों पर; छाती के ऊपरी हिस्से और निपल्स पर; और चेहरे पर थीं। नथुनों और मुंह पर जमा हुआ रक्त मौजूद था। गर्दन पर एक वृत्ताकार बंध चिन्ह था। गर्दन के चारों ओर एक कपड़ा मौजूद था। योनिच्छद फटा हुआ था और मूलाधार पर लगभग 1/2 इंच का विदीर्ण घाव था। पूरे मूलाधार पर कई खरोंचें थीं और योनि में जमा हुआ रक्त मौजूद था। चोटें मृत्युपूर्व थीं। उसने सफेद टेरीकॉट ब्लाउज और नीली स्कर्ट (स्कूल की वर्दी) पहनी हुई थी। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सकों ने राय दी कि मृत्यु से पूर्व मृतका के साथ बलपूर्वक संभोग किया गया था और मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण श्वासावरोध था और यह मानववध प्रकृति का था। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी-2 है और क्यूरी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-3-ए है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 30.10.86 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट — रामानंद सिंह (अ.सा. 2) द्वारा एक परीक्षण पहचान परेड (टी आई पी) आयोजित किया गया था। उक्त (टी आई पी) में अपीलार्थी को श्रीमती जे. मौर्या (अ.सा. 8) द्वारा सही से पहचान लिया गया। पहचान संबंधी ज्ञापन प्रदर्श-पी-4 है। मृतका के शव से जप्त कपड़ा (गमछा) भी पहचानार्थ प्रस्तुत किया गया तथा उसे भी अपीलार्थी का ही माना गया। अपीलार्थी को दिनांक 26.10.86 को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया था। उसका परीक्षण डॉ. दिलीप कुमार कटोलिया (अ.सा. 23) ने किया। उन्होंने अपीलार्थी के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी:-

(i) गाल के वाम पक्ष पर 1 x 1/2 x 0.15 से.मी. का खरोचें (काला-भूरा रंग का),

(ii) वाम क्लेविकुलर क्षेत्र के निचले भाग पर 1/2 x 1/4 से.मी. का खरोचें,

(iii) वाम क्लेविकुलर क्षेत्र पर चार अन्य खरोचें भी पाए गए,
(iv) दाहिने घुटने के निचले भाग पर 1/2 से.मी. का खरोचें,
(v) दाहिने कुहनी पर 1 से.मी. का खरोचें, भूरे रंग का।

उन्होंने अभिमत व्यक्त किया कि उपर्युक्त चोटें कठोर तथा खुरदरे वस्तुओं के द्वारा 22 से 27 घण्टों के भीतर हुई हो सकती हैं। अपीलार्थी को संभोग करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम पाया गया। अपीलार्थी की चोट चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी-31-ए है।

विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने प्रकरण को संबंधित सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहाँ से यह स्थानान्तर के द्वारा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण किया तथा उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को सिद्धदोष कर दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) घटनास्थल पर कोई चक्षुदर्शीसाक्षी उपस्थित नहीं था और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं, जिन पर सत्र न्यायाधीश ने अवलंबन लिया और जिनके आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया गया है :-

i. अपीलार्थी की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गयी जो स्कूल गया और मृतका को पिता के दुर्घटनाग्रस्त होने के झूठे बहाने पर अपने साथ ले गया;

ii. मृतका का शव मोहपका-खार (झाड़ियों) से अपीलार्थी के निशानदेही पर बरामद किया गया;

iii. शव पर अनेक चोटें थीं तथा चिकित्सकों ने अभिमत दिया कि मृतका की मृत्यु मानववध स्वभाव की थी तथा मृत्यु से पूर्व उस पर जबरन लैंगिक संभोग किए गए थे;

iv. अपीलार्थी के शरीर पर कई चोटें थीं, जिनका स्पष्टीकरण वही नहीं दे सका;

v. सुमारो (अ.सा.19) ने देखा कि अपीलार्थी के साथ एक नाबालिक विद्यालय पोशाक में थी ; और

vi. मृतका के गरदन पर पायी गई गमछा, जिसे गरदन के चारों ओर पायी गयी थी, की पहचान अपीलार्थी की गमछा के रूप में की गयी।

(5) श्री राकेश जैन, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क किया कि अपीलार्थी की उचित पहचान नहीं हुई है; अतः यह साबित नहीं हुआ कि दिनांक 22.10.86 को मृतका को उसके साथ ले जाने वाला व्यक्ति अपीलार्थी ही था। उसने मृतका के शव की अपीलार्थी के

निशानदेही पर बरामदगी पर भी प्रश्न उठाया तथा तर्क किया कि अपीलार्थी को इस प्रकरण में गलत तरीके से फँसाया गया है।

(6) दूसरी ओर, श्री किशोर भदुरी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता जो राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की विस्तारपूर्वक बहस सुनी और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है।

(8) धनंजय चैटर्जी विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एससीसी 22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि — "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित एक प्रकरण में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है वे न केवल पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए, वरन् वे सभी परिस्थितियाँ जो इस प्रकार स्थापित की गईं हों, निर्णायक स्वभाव की होनी चाहिए और केवल अभियुक्त के दोष के अनुमेय तर्कानुसार संगत होनी चाहिए। उन परिस्थितियों को किसी अन्य अनुमान से व्याख्यायित करने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय अभियुक्त के दोषी होने के; और साक्ष्यों की शृंखला इतनी सम्पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निदोर्षिता के अनुरूप विश्वास के लिये किसी भी तार्किक आधार की कोई संभाव्यता शेष न रहे। यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि न्यायिक रूप से स्थापित परिस्थितियाँ और न की न्यायालय की आक्रोशपूर्ण भावना, दण्डादेश के आधार बन सकती हैं तथा ज्यों-ज्यों अपराध गंभीर होता जाता है, तात्पर्य यह है कि साक्ष्यों की समीक्षा करते समय और अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि शक प्रमाण की जगह न ले ले।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) <u>बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य विरूद्ध राज्य जम्मू व कश्मीर, एआईआर 2002 एस.सी. 3164</u> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, जिन परिस्थितियों से अपराध सिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे न केवल पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए, बल्कि जिस प्रकार से स्थापित की गयी सभी परिस्थितियाँ निर्णायक स्वभाव की व प्रवृत्तिपूर्ण होनी चाहिए। वे केवल अभियुक्त के अपराध के पक्ष में ही संकेत करने वाली हों। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी अन्य प्रकार से स्पष्ट किया जा सके तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की उस शृंखला का इतना सम्मिलित व पूर्ण होना आवश्यक है कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत कारण के लिये भी कोई स्थान न रहे। यह वही सिद्धांत

है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में प्रतिपादित किया है। अतः, हमें यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि अभियोजन जिन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वे ऐसे हों कि अपीलार्थी (अभियुक्त) को आरोपित अपराध के दोषी ठहराने के अतिरिक्त कोई विकल्प न रहे तथा अभियुक्त पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे, प्रमाणित हो चुकी हो।

(10) अब हम उन परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिन्हें विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित माना गया है। जहाँ तक अपीलार्थी की पहचान से सम्बन्धित प्रथम परिस्थिति का प्रश्न है, श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) को इस सम्बन्ध में परीक्षण किया गया था। श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) उस विद्यालय में एक अध्यापिका थी जहां मृतका अध्ययनशील थीं। उसने कथन किया है कि घटना के दिन लगभग प्रातः 8:00-8:15 बजे वह कर्मचारी कक्ष में बैठी हुई थीं। एक व्यक्ति प्रधान पाठिका से चर्चा कर रहा था। वह किसी छात्र को बुलाने की बात कर रहा था। इस पर प्रधान पाठिका ने मृतका के सम्बन्ध में उससे पूछा, जिस पर उसने उत्तर दिया कि वह उसकी कक्षा की छात्रा है। तत्पश्चात मृतका को उसका बैग लेकर बुलाया गया। श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) ने मृतका से पूछा कि क्या वह उस व्यक्ति को जानती है। जब मृतका ने अपीलार्थी को पहचानकर कहा कि वह उसे जानती है, तब उसे अपीलार्थी के साथ जाने की अनुमति दे दी गई। श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) ने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान कर यह बताया कि वही व्यक्ति है जो मृतका को लेने के लिये उनके विद्यालय आया था। उसने दिनांक 30.10.86 को किए गए परीक्षण पहचान परेड (टी आई पी) की कार्यवाही का भी समर्थन किया। उसने (टी आई पी) प्रदर्श पी 4 की कार्यवाही को भी प्रमाणित किया। उसने विद्यालय के रजिस्टर की प्रविष्टियों को भी प्रमाणित किया जिनमें मृतका का नाम अंकित था तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार दिनांक 22.10.86 को वह कक्षा कक्ष में हाज़िर अंकित की गई थी। श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा किया गया, परंतु बचावपक्ष ने ऐसा कोई तर्कसंगत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे या तो उसके साक्ष्य को खारिज किया जाए या यह कहा जा सके कि उसने वर्तमान अपराध में अपीलार्थी को झूठा फँसाया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 11 में उसने दृढ़तापूर्वक उल्लेख किया कि उसने अपीलार्थी की पहचान की थी, जो वह व्यक्ति है जिसने मृतका को अपने साथ लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) रामानन्द सिंह (अ.सा.2) कार्यपालक दण्डाधिकारी हैं, जिन्होंने टी आई पी का संचालन किया। उन्होंने टी आई पी की कार्यवाही को प्रमाणित किया है और कथन किया है कि श्रीमती जे. मौर्य

(अ.सा. 8) तथा अन्य साक्षियों श्रीमती सी.के. राय द्वारा अपीलार्थी की पहचान विधिवत रूप से की गई थी।

(12) श्री जैन ने यह तर्क किया है कि अपीलार्थी की तस्वीरें श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) को दिखाई गई थीं, अतः टी आई पी की संपूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है, और यह स्थापित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी की पहचान उपरोक्त साक्षी द्वारा विधिवत रूप से की गई थी। श्री जैन के तर्क में हमें कोई बल नहीं मिलता। अभियोजन का प्रकरण यह है कि जब पुलिस को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने मृतका को ले लिया था, मृतका के परिवार के निकट का था, तब उन्होंने ग्राम में पूछताछ की और पाया कि अपीलार्थी अकेला था जो ग्राम में नहीं था। प्रकरण की आगे जांच करने के लिए, स्कूल अधिकारियों को तस्वीरें दिखाकर, अपीलार्थी की तस्वीरें पुलिस द्वारा जब्त की गईं, जो अपीलार्थी की पत्नी के कब्जे से प्राप्त हुई थीं, और पंचनामा/जब्ती पत्रक तैयार किया गया। इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल अधिकारियों, जिनमें श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा.8) भी शामिल थीं, को अपीलार्थी की तस्वीरें दिखाईं, जिन्होंने तुरंत पहचान की कि जिस व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई थी, उसने दिनांक 22.10.86 को मृतका को अपने साथ ले गया था। यह प्रारंभिक जांच के बाद ही था कि अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और उसका प्रकटीकरण कथन दर्ज किया गया और मृतका के शव आदि, जिन्हें मोपका खारा की झाड़ियों में छिपाया गया था, को अपीलार्थी के निशानदेही पर बरामद किया गया। उपरोक्त जांच के पूर्ण होने के पश्चात्, दिनांक 30.10.86 को परीक्षण पहचान परेड का संचालन किया गया, जिसमें श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) ने अपीलार्थी की पहचान की और उन्होंने अपने साक्ष्य दर्ज करने के दौरान विचारण में भी उसकी पहचान की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) **रॉनी विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1998 एस.सी. 1251** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि किसी अभियुक्त की पहचान एक साक्षी द्वारा की जाती है, जिसे उससे बातचीत करने या उसकी विशिष्ट विशेषताओं को देखने का अवसर प्राप्त हुआ हो, तो उस साक्षी की न्यायालय में दिये गये साक्ष्य को विश्वसनीयता मिलती है, और परीक्षण पहचान परेड के माध्यम से सम्पोषक साक्ष्य की अनुपस्थिति, महत्वपूर्ण नहीं होगी।

(14) **जॉर्ज विरूद्ध केरल राज्य, एआईआर 1998 एस.सी. 1376** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह प्रतिपादित किया कि न्यायालय में किसी अभियुक्त की पहचान, पहचान करने वाले व्यक्ति के

लिए सारवान साक्ष्य है, और परीक्षण पहचान परेड में उसकी पूर्व पहचान उसे पुष्ट करती है। दूसरे शब्दों में, परीक्षण पहचान परेड में पूर्व पहचान के साक्ष्य का अभाव, न्यायालय में पहचान की स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता है।

(15) **दस्तागीर सब एवं अन्य विरूद्ध कर्नाटक राज्य, (2004) 3 एस.सी.सी. 106** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि परीक्षण पहचान परेड का आयोजित न होना, स्वयं ही अभियोजन मामले को असिद्ध नहीं ठहराएगा। इस पर कितना और किस हद तक, यदि कोई हो, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(16) वर्तमान प्रकरण में, श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) ने अपीलार्थी को न्यायालय में कटघरे पर पहचान लिया है। प्रतिपरीक्षण में, उक्त साक्ष्य और कटघरे पर-पहचान के साक्ष्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं लाया जा सका। इस साक्ष्य को जांच में सुराग दिलाने में सहायक जो तस्वीरें इस साक्षी को दिखाई गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी का अभियोग हुआ, जिसने अपनी प्रकटीकरण कथन दिया और उस स्थान से मृत शरीर बरामद करवाया जहाँ उसे छिपाया गया था। जब अपीलार्थी को कटघरे पर पहचाना गया और अपीलार्थी की पहचान का मूल साक्ष्य मौजूद था, तो उपरोक्त सम्पोषक साक्ष्य शायद ही महत्वपूर्ण रह जाता है। हमने पहले ही यह माना है कि श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा. 8) के साक्ष्य को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकी है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा यह विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उचित रूप से यह माना है कि अपीलार्थी की विधिवत पहचान की गई थी, जो वह व्यक्ति है जो स्कूल गया था और मृतका को उसके पिता के दुर्घटना होने के झूठे बहाने से अपने साथ ले गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) जहाँ तक अपीलार्थी के निशानदेही पर मृतका के शव की बरामदगी की परिस्थिति का प्रश्न है, तो साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि जब दिनांक 25.10.86 को अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और उसका मेमोरण्डम कथन (प्रदर्श पी-13) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, तब उसने बताया किया कि मृतका का शव उसने मोपका-खार (वनक्षेत्र) में फेंक दिया था तथा विद्यालय का थैला भी उसने एक निर्दिष्ट स्थान पर फेंक दिया था। यह कथन महारथी, मुरारीलाल और बसन्त के समक्ष दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा संकेतित स्थान से मृतका का शव बरामद किया गया और एक जप्ती पंचायतनामा (प्रदर्श पी-14)

तैयार किया गया। मुरारीलाल को अ.सा.12 के रूप में परीक्षण किया गया है। वह ग्राम सरपंच था। उसने स्पष्टतया यह कथन किया कि अपीलार्थी ने पुलिस को बताया था कि उसने मृतका के शव को मोपका-खार (वनक्षेत्र) में रखा है तथा स्कूल का थैला विद्यालय के निकट एक स्थान पर फेंक दिया है। उसके प्रतिपरीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, यह स्थापित हुआ कि मृतका का शव मोपका-खार (वनक्षेत्र) की झाड़ियों में छिपाया गया था एवं वह अपीलार्थी के निशानदेही पर बरामद किया गया, और यह अपीलार्थी के विरुद्ध एक अभियोगात्मक परिस्थितिक तथ्य था।

(18) शव परीक्षण करने वाले चिकित्सकों के अनुसार, मृतका के मृत्यु होने से पूर्व उस पर जबरन यौन सम्बन्ध स्थापित किए गए थे तथा उस पर अनेक चोट के घाव थे और उसकी मृत्यु मानववध थी। अपीलार्थी को भी अनेक चोटें आई थीं, जिसका साक्ष्य डॉ. दिलीप कुमार कटोलिया (अ.सा.23) ने दिया है। यदि हम अपीलार्थी के घावों को देखें तो गाल, मुख, क्लेविकुलर क्षेत्र, कुहनी एवं घुटने पर कई खरोंच/आब्रेजन्स पाईं गईं। ये चोटें मृतका द्वारा प्रतिरोध करने के परिणामस्वरूप हुई प्रतीत होती हैं और वे अभियोगात्मक हैं। अपीलार्थी ने इन चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) जहाँ तक परिस्थितियाँ क्रमांक V एवं VI का प्रश्न है, वे अपीलार्थी के विरुद्ध अधिक अभियोगात्मक नहीं मानी जा सकतीं। सोमारु (अ.सा.19) ने कथन किया है कि उसने देखा था कि लगभग 5-6 वर्ष आयु की एक बालिका विद्यालय की वेशभूषा में अपीलार्थी के साथ थी। उसने दिन, तिथि आदि के संबंध में कुछ विशेष कथन नहीं किया; अतः यह स्थापित नहीं हो सका कि उसने किस तिथि/दिन उक्त बालिका को अपीलार्थी के साथ देखा था। गमछा की पहचान भी अपीलार्थी के विरुद्ध अधिक अभियोगात्मक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह एक सामान्य वस्तु है और यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया जा सका कि उक्त गमछा वास्तव में अपीलार्थी का ही था।

(20) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि प्रथम चार परिस्थितियाँ अपीलार्थी के विरुद्ध पूरी तरह स्थापित हो गई थीं। यह स्थापित हुआ कि कीर्थी बाई छठी कक्षा में महारानी लक्ष्मी बाई विद्यालय, बिलासपुर में अध्ययन कर रही थी। वह दिनांक 22.10.86 को अपने विद्यालय में उपस्थित थी। अपीलार्थी उक्त दिन विद्यालय गया और पिता की दुर्घटना के बहाने से उसे अपने साथ ले गया। जब मृतका वापस नहीं लौटी तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी की तस्वीरें जप्त की गईं और उन्हें विद्यालय के अधिकारियों सहित श्रीमती जे. मौर्य (अ.सा.8) को दिखाई

गईं, जिसने अपीलार्थी की फोटो के द्वारा पहचान की। अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया तथा उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मेमोरण्डम कथन दर्ज किया गया और मृतका का शव अपीलार्थी के निशानदेही पर मोपका-खार (वनीय क्षेत्र) के झाड़ियों से बरामद किया गया। शव पर अनेक चोटें पाई गईं। मृत्यु मानववध थी। मृतक के साथ उसके मृत्यु से पूर्व जबरन यौन संबंध स्थापित किये गये थे। अपीलार्थी पर भी कई चोटें आई थीं, जिनका उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया। उपर्युक्त समस्त परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति थीं। वे केवल अपीलार्थी के अपराध की ओर सूचित कर रही थीं। उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण थी और ये परिस्थितियाँ अभियुक्त को उक्त अपराधों के दायरे में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थीं।

(21) उपरोक्त कारणों से, हम अपील में कोई सार नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, खारिज किये जाने योग्य है और खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक